न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढाढण
राजस्व लोक अदालत - 2016
पीठासीन अधिकारी पुष्कर राज शर्मा (आर. ए. एस.)

अपील संख्या - 1/2015

सिकन्दर उम्र 60 वर्ष पुत्र स्व.असगर खा जाति कायमखानी मुसलमान निवासी वा 19, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर राजस्थान

अपीलान्टस

बनाम

1. शोकत अली पुत्र मकबुल खां जोया जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड नं साहिल चौक कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
2. याकुब अली पुत्र हाजी कमरूदीन जोया जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड 19 साहिल चौक कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
3. लियाकत अली पुत्र हाजी कमरूदीन जोया जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वा नं. 19 साहिल चौक कस्बा फतेहपुर शेखावाटी जिला सीकर राजस्थान
4. सरपंच ग्राम पंचायत रोलसाहबसर
5. पदेन सचिव ग्राम पंचायत रोलसाहबसर
6. तहसीलदार रामगढ शेखावाटी जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20/2/2014 ग्राम पंचायत रोलसाहबसर जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 387

निर्णय दिनांक 13.05.2016

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि कृषि भूमि खसरा नंबर 100 रकबा 8.94 हैक्टर, खसरा नंबर 106 रकबा 1.69 हैक्टर कुल खसरा–2 कुल रकबा 10.63 हैक्टर ग्राम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा अपीलकर्ता की पैतृक कृषि भूमिया हैं। पंचायत रोलसाहबसर ने बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये एवं नियमों के विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 387 दिनांकित 20.02.2014 तस्दीक किया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण विधिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट के कब्जे के बारे में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई एवं धारा 133 की पालना नहीं की गई। उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक हैं ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को न ही तो नोटिस दिया और ना ही किसी को बुलाया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही दुषित हो जाती हैं। भूमिधारी स्व. हुसैन खां के वारीसान एवं स्व. असगर खां के वारीसान की हक व हिस्से की कृषि भूमि को षडयंत्र रचकर फर्जी शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 5 से षडयंत्र रचकर हमारी कृषि भूमि का नामान्तरकरण हमारे परिवार को नुकसान पहुचाने की नियत से बिना विधिवत प्रकिया अपनाये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम ग्राम पंचायत ने बिना हक की जांच किये नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के पहले भू–अभिलेख नियमावली के नियम 119 से 121 की पालना किया जाना आवश्यक हैं जिसकी अनुपालना के बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने कीमतन जमीन को

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016
ग्राम पंचायत........

राजस्व लोक अदालत - 2016

A 3/2

हक्क करने की नियम से खुर्शीद खां दतक पुत्र स्व. गनी खां प्राकृतिक पिता हुसैन खां विदेश गये हुए के उपरान्त पीछे से साजिस रचकर फर्जी शपथ पत्र बनाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 एवं परिवार के अन्य षडयंत्र में शामिल होकर फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत रोलसाहबसर का सरपंच रेस्पोडेन्ट संख्या 4 पदेन सचिव रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व हल्का पटवारी ने हमारी परिवार को नुकसान पहुचाने के लिए फर्जी तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में नामान्तरकरण हमारे परिवार के हिस्से का तस्दीक कर दिया।

रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत स्थावर सम्पति एक सौ रूपये या उससे अधिक के मुल्य का कोई अधिकार हक या हित चाहे वह निहित, चाहे समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में, सृष्ट, घोषित, समनुदेशित परिसीमित, या निर्वापित करती हो का पंजीकरण आवश्यक है। क्योकि जो दस्तावेज अधिकार का सर्जन करता हैं, उचित रूप से मुद्राकित एंव पंजीकृत होना चाहिये, जो मोहन लाल बनाम मनबर 2013 (1)डी एन जे राजस्थान पेज नं. 431 में निर्धारित किया हैं परन्तु ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य पदाधिकारियों ने अन्यथा लाभ लेकर अवैध रूप से नामान्तरकरण भर दिया।

किसी के हिस्से का अन्य व्यक्ति के नाम पर नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोलने के समय ग्राम पंचायत को ''बाई वे ऑफ अबेडेट'' प्रिकोसन की यह अवश्य जांच लेना चाहिये कि जो पक्ष अपने हक में नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है वो प्रथम दृष्टया क्लेम सही हैं या नहीं।

अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 244 दिनांकित 20.02.2014 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित। प्रार्थी के विद्ववान अधिवक्ता की बहस हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 387 ग्राम रोल तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत ने धारा 133 की पालना नहीं की। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने फर्जी शपथ पत्र के आधार पर हमारी कृषि भूमि का रेस्पोडेन्टान के नाम गलत नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत एक सौ रूपये या अधिक सम्पति के अन्तरण पर दस्तावेज का पंजीकरण आवश्यक हैं इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा बिना अधिकार नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया हैं कि अपील मियाद बहार व विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपील में अपीलान्ट ने यह कथन किया हैं कि उक्त नामान्तरकरण कि उसके द्वारा दिनांक 4.3.2015 को नकल प्राप्त करने पर हुई है। लेकिन अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई नकल नामान्तरकरण माननीय न्यायालय में पेश नहीं कि है। उसके द्वारा अपनी अपील में मोहम्मद खां की दवंशावली भी अंकित की गई हैं क्योकि उक्त कृषि भूमि में मो. हुसैन व मो. खां के समस्त वारिसों के हित सामान रूप से है तथा उक्त असगर के वारिसो द्वारा ग्राम पंचायत रोल साहबसर कि पंचायत मिटिंग दिनांक 20.04.2014 को में स्वंय उपस्थित होकर मय शपथ पत्र यह कथन किया कि इस भूमि का खाता रेस्पोडेन्टस के नाम से कर दिया जावे तथा ग्राम पंचायत रोहल साहबसर ने भी मौके पर कब्जे कि पूर्ण जांच कर यह खाता रेस्पोडेन्टस के नाम से किया था। अपीलांट द्वारा अपनी इस अपील में मौहम्मद खां व स्व असगर खां के समस्त वारिसों को इस अपील में पक्षकारान संयोजित नहीं किया हैं जिस आधार पर भी अय अपील खारिज किये जाने योग्य हैं क्योकि अपीलांट अकेले के इस अपील में कोई हित नहीं है।

अपील में अपीलांट द्वारा मौहम्मद खां व असगर खां के उन वांरिसों को भी पक्षकार संयोजित नहीं किया जिन्होने ग्राम पंचायत रोहल साहबसर में उपस्थित होकर अपना लिखित शपथ

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2016
ग्राम पंचायत........

...पेश किया था कि इस कृषि भूमि से अपीलांट को कोई संबंध सरोकार कब्जा कास्त
...नहीं है।

अपीलान्ट व उसके अन्य भाईयों ने नामान्तरकरण तस्दीक करते समय ना तो अपने
नामान्तरकरण तस्दीक करने का कोई आवेदन पेश किया तथा ना ही रेस्पोडेन्टस के प
नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करने हेतु कोई आवेदन ही पेश किया जिस कारण भी यह अ
खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कि
गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 387 खातेदार असगर के फौत होने
पटवारी द्वारा उसके वारिसों के नाम दर्ज किया था। जिसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दु
अंकित किया जाकर ग्राम पंचायत समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु ग्राम पंच
ने मात्र शपथ पत्र के आधार खसरा नंबर 106 की खातेदारी असगर के वारिसों की ब
शोकत अली पुत्र महबुल खां जोया हिसा 1/3 लियाकत अली, याकुब अली पि. ह
कमरूदीन जोया हि. 2/3 कौम कायमखानी नि. फतेहपुर के नाम स्वीकृत कर दी।

ग्रम पंचायत को शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक करने को व
अधिकार नहीं हैं। शपथ पत्र कृषि भूमि हस्तातरण वैध दस्तावेज नहीं हैं यदि कृषि के
स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद हैं तो नामान्तरकरण तहसीलदार को निर्णय हेतु प्रस
करना चाहिए था। अधीनस्ध ग्राम पंचायत ने अपने निर्णय गंभीर त्रुटि की हैं। अतः विवा
नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्ध ग्राम रोलसाहबसर का आदेश दिन
20.2.2012 नामान्तरकरण संख्या 387 ग्राम रोल निरस्त किया जाता एंव प्रकरण तहसील
रामगढ को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वह प्रकरण की जांच क
नामान्तरकरण का निर्णय करें।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2016 को कैम्प कोर्ट ढाढण में खुले न्यायालय में सुना
गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी)

राजस्व लोक अदालत - 2016

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढाढण

नोट - निर्णय उपरोक्त में आदेश के पैरा में ग्राम रोल~~साहबसर~~ के स्थान पर ग्राम गोविन्दपुरा हरदयालपुरा पढ़ा जावे।

5/7/2016

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी